



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012025-260185
CG-DL-E-14012025-260185

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2025/पौष 23, 1946

No. 207]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/PAUSHA 23, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2025

का.आ. 209(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संख्या एस.ओ. 508 (ई) दिनांक 2 अप्रैल, 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (ii), दिनांक 2 अप्रैल, 2007 एवं संशोधन राजपत्र संख्या एस.ओ. 23(ई) दिनांक 4 जनवरी, 2008 और एवं संशोधन राजपत्र संख्या एस.ओ. 2125(ई) दिनांक 29 जनवरी, 2024 अर्थात्: अधिसूचना की प्रस्तावना में एस.ओ. 23 (ई) दिनांक 4 जनवरी, 2008 शब्दों के लिए "विशेष जिला राजस्व अधिकारी, सेलम", शब्द "विशेष जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग, विल्लुपुरम" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

फुट नोट: मुख्य अधिसूचना क्रमांक द्वारा प्रकाशित की गई थी एस.ओ.508 (ई) दिनांक 2 अप्रैल, 2007 के तहत प्रकाशित की गई थी, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (ii), दिनांक 2 अप्रैल, 2007 में प्रकाशित किया गया था।, संशोधन राजपत्र क्रमांक एस.ओ. 22 (ई) दिनांक 4 जनवरी, 2008 और संशोधन राजपत्र संख्या एस.ओ.23(ई) दिनांक 4 जनवरी, 2008 और संशोधन राजपत्र संख्या एस.ओ. 2125(ई) दिनांक 29 जनवरी, 2024.

[फा. सं. D.L.33004/99/3Corr]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 13th January, 2025

S.O. 209(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Section 3 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways No. S.O. 508 (E) dated the 02nd April, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section 3, Sub Section (ii), dated the 2nd April, 2007 and Amendment Gazette No.S.O. 23 (E) dated the 4th January, 2008 and the Amendment Gazette No. S.O. 2125(E) dated the 29th May, 2024 namely: In the preamble of notification S.O. 23 (E) dated the 4th January, 2008, for the words “Special District Revenue officer, Salem”, the words “**Special District Revenue officer, Land Acquisition, National Highways, Villupuram**” shall be substituted.

Foot Note:The principal notification was published vide number S.O.508 (E) dated the 2nd April, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section 3, Sub Section (ii), dated the 02nd April, 2007, Amendment Gazette No.S.O.23 (E) dated the 04th January, 2008 and Amendment Gazette No. S.O.2125 (E) dated the 29th May, 2024.

[F. No. D.L.33004/99/3Corr]

ABHAY JAIN, Director